न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री दौलत राम चौधरी(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :— 96/2019

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. शेषाराम पुत्र बस्तीराम, जाति घांची उम्र 52 वर्ष निवासी बेरा तकीया ग्राम बगडी नगर, तहसील सोजत, जिला पाली, (राजस्थान)।		1 सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत। 2 सोहनलाल पुत्र बस्तीराम 3 शिवलाल पुत्र बस्तीराम 4 भानाराम पुत्र बस्तीराम, जातिगण घांची, निवासीगण — बेरा तकीया, ग्राम बगडी नगर, तहसील सोजत, जिला पाली।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

तारीख रजू 13—09—2020

उपस्थितिः—

1. श्री धर्मीचन्द देवासी, अधिवक्ता वादी उपस्थित।
2. श्री तहसीलदार सोजत अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

दिनांक 03.03.2021

—: निर्णय :—

अधिवक्ता मय वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम बगडी चक संख्या एक में वादी की खातेदारी एवं कब्जा सुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर—1899 रकबा 0.6000 हैक्टर, खसरा नम्बर 1901 रकबा 1.6700 हैक्टर, खसरा नम्बर 1877 रकबा 0.6100 हैक्टर, खसरा नम्बर 1878 रकबा 0.3100 हैक्टर, खसरा नम्बर 1879 रकबा 0.7200 हैक्टर, खसरा नम्बर 1896 रकबा 0.1000 हैक्टर , खसरा नम्बर 1897 रकबा 0.200 हैक्टर , खसरा नं. 1898 रकबा 0.1600 हैक्टर, खसरा नम्बर 1894 रकबा 1.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 1895 रकबा 0.68 हैक्टर, खसरा नम्बर 1900 रकबा 1.77 हैक्टर, खसरा नम्बर 1902 रकबा 2.28 हैक्टर, कुल खसरा 11 कुल रकबा 10.11 हैक्टर वाके स्थित है, मिलान खसरा सेटलमेंट अनुसार उक्त भूमि के पुराने खसरा नम्बर के नये नम्बर दर्ज हुए है जिस पर वादी अपने समझ समझाईस से निरन्तर आज दिन तक शान्तिपूर्वक तरीके से काबिज काश्त चला आ रहा है। उपरोक्त संपूर्ण कृषि भूमि वादी के दादा केसाराम पुत्र लच्छाराम की खातेदारी की थी। जो जमाबंदी 2021 से 2014 में दर्ज है तथा केसाराम के पश्चात सैटलमेण्ट के समय संवत 2030 में पृष्ठ संख्या 65 के जरिये सहायक भू—प्रबन्धक एवं अभिलेख अधिकारी जोधपुर द्वारा मांगीलाल पुत्र बस्तीराम, 1/5 हिस्सा, भानाराम पुत्र बस्तीराम, 1/5 हिस्सा, सोहनलाल पुत्र बस्तमीराम , 1/5 हिस्सा, शेषाराम पुत्र बस्तीराम , 1/5 हिस्सा, व बस्तीराम पुत्र केसाराम , 1/5 हिस्सा दर्ज किया, जो राजस्व रेकर्ड से साबित है। उस वक्त राजस्व रेकर्ड मे शेषाराम नाम दर्ज था, सेकाराम नाम दर्ज नही था। परन्तु लिपिक सहवन की गलती से वादी का नाम सेकाराम पुत्र बस्तीराम लिख दिया, जो एक मानवीय भूल अथवा चूक है। परिणाम स्वरूप वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में सेकाराम पुत्र बस्तीराम दर्ज कर दिया, जो गलत होने से दुरूस्त किये जाने योग्य है। वादी के राशन कार्ड, जॉब कार्ड, परिचय पत्र, आधार कार्ड, वाहन चालक अनुज्ञापत्र, बैंक डायरी, भामाशाह कार्ड, गैस डायरी वगैरह सभी निजी व लोक दस्तावेजात में वादी का नाम शेषाराम ही दर्ज है तथा बस्तीराम के पुत्र का नाम भी शेषाराम ही है। सेकाराम नाम से बस्तीराम जी का कोई पुत्र नही है। अतः वादस्थ कृषि भूमि में बतौर खातेदारी वादी अपना नाम शेषाराम पुत्र बस्तीराम, जाति घांची निवासी बेरा तकीया ग्राम बगडी नगर, तहसील सोजत, दर्ज करने की घोषणा करवाने का अधिकारी है। वाद में तहसीलदार सोजत एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 4 को भूमिधाराक होने से फोरमल

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (राजस्थान)

Scanned with CamScanner

पक्षकार बनाया गया है, उनके विरूद्ध किसी तरह की ईश्तदुआ नहीं चाही गई है। सैटलमेन्ट संवत 2030 मे वादी का नाम शेषाराम पुत्र बस्तीराम दर्ज होने से तथा सैटलमेन्ट के पश्चात सेकाराम दर्ज कर देने से वादी को दिनांक 06.06.2017 को पटवारी हल्का को निवेदन करने पर ज्ञात हुआ। तत्पश्चात वादी ने दिनांक 08.3.2019 को संपूर्ण दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की, जो वाद अन्दर म्याद अवधि पेश किया है। वादस्थ कृषि भूमि मौजा बगडी तहसील सोजत में स्थित होने एवं वाद बाबत् घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का होने से उक्त वाद न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार का है। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादी ने राजस्व वाद पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की जारी किये जाने की है कि उक्त वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम बतौर खातेदार शेषाराम पुत्र बस्तीराम, जाति घांची निवासी बेरा तकीया ग्राम बगडी नगर, तहसील सोजत, दर्ज करने की घोषणा की जाकर इन्द्राज किये जाने अर्थात् अधिवक्ता मय वादी ने माफिक दावा वाद स्वीकार किये जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मनस वास्ते ज0दा0 तलब किये गये। प्रतिवादी सरकार की ओर से तहसीलदार, सोजत ने ज0दा0 दिनांक 04.11.2019 को पेश किया, में अंकित किया कि वादस्थ कृषि भूमि मौजा बगडी में स्थित होना स्वीकार किया है तथा वाद–पत्र में वर्णित अन्य पैराज में वर्णित तथ्यों को वादी द्वारा स्वयं द्वारा सिद्ध किये जाने का अंकन किया है। प्रस्तुत ज0दा0 की प्रति अधिवक्ता वादी को आज दिलाई गई, सामिल मिसल किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 को बावजूद तामिली। सूचना बार बार आवाज दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध दिनांक 16.09.220 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। हस्ब इश्तदुआ अधिवक्ता वादी का वाद धारा 88 बाबत घोषणा का माना /पढा जावे। दिनांक 08.01.2021 को अधिवक्ता वादी ने दिनांक 06.01.2021 अन्तर्गत धारा 151 सी पी सी का इस आशय का पेश किया कि वादी द्वारा पेश किये गये वाद पत्र में प्रतिवादीगण की तलबी की गई। तत्पश्चात प्रति. सं. 2 से 4 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही हुई। प्रति. सं. 4 द्वारा जबाब दावा पेश किया, जिसमें भी किसी प्रकार की कोई आपति नहीं की गई। वादी ने उक्त वाद पत्र के खाता सं. 615 के संबंध में सेकाराम के स्थान पर शेषाराम किये जाने हेतु पेश किया है। उक्त वाद पत्र में खसरा नं. 1899, 1901, 1877, 1878, 1894, 1895, 1900, 1903 का वर्णित कर दिया, लेकिन टंकण की सहवन की भूल से खं. नं. 1879, 1896, 1897, 1898, 1902 अंकित नहीं किया गया। जबकि उक्त खसरे भी इसी एक ही खाता का भाग, जिसमें सेकाराम के स्थान पर शेषाराम करना है। उक्त प्रकरण में तहसीलदार, सोजत के जबाब में भी सहमति है कि पुराने रिकोर्ड के अनुसार सेकाराम के स्थान पर शेषाराम किया जावे, तो आपति नहीं है। इसलिए वाद पत्र की प्रकृति पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पडेगा। इस प्रकार प्रा. पत्र पेश कर उक्त वाद पत्र में खाता सं. 615 के ख. नं. 1879, 1896, 1897, 1898 एवं 1902 पं. सं बगडी नगर चक 1 में भी सेकाराम के स्थान पर शेषाराम किये जाने तथा वाद पत्र में पूर्वोक्त ख. नं. के साथ उक्त ख. नं. जोडे जाने तथा वाद पत्र में ख. नं. 1903 के स्थान पर ख. नं. 1902 लाल स्याही से अंकित किये जाने की ईश्तदुआ की है।

बहस अधिवक्ता वादी सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने व्यक्त किया कि धारा 151 सी पी सी का प्रार्थना पत्र संलग्न जमाबंदीयां संवत 2077 (खाता संख्या नया 654 पुराना 615) अनुसार स्वीकार कर पूर्वोक्त खसरा नं. के साथ उक्त खसरा नं. भी जोडे जावे तथा ख. नं. 1903 के स्थान पर 1902 लाल स्याही से अंकन किये जाने की ईश्तदुआ की है। प्रा. पत्र मय राजस्व रिकोर्ड जमाबंदीयो का गहनता पूर्वक अध्ययन किया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः अधिवक्ता मय वादी द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र धारा 151 सी पी सी को स्वीकार किया जाता है। पूर्वोक्त ख. नं. के साथ ख. नं. 1879, 1896, 1897, 1898 तथा 1903 के स्थान पर 1902 का लाल स्याही से वाद पत्र में दुरस्त अंकन करवाया जाकर अधिवक्ता वादी के लघु हस्ताक्षर करवाने की अनुमति दी

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (पाली) राज.

Scanned with CamScanner

गई। अधिवक्ता वादी से उक्तानुसार ख. नं. वाद पत्र में जोडते हुए वांछित दुरस्ती राजस्व रेकर्ड अनुसार अंकन करवाये गये।

बहस अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 आज उपस्थित आए। उपस्थित उभय पक्षकारान को आज वाद पत्र में वर्णित तथ्यों के परिपेक्ष्य में सुना गया। अधिवक्ता वादी ने दौराने बहस व्यक्त किया कि वाद पत्र के संलग्न दस्तावेजात जमाबन्दी सम्वत् 2070–73, जमाबन्दी सम्वत् 2066–69, जमाबन्दी सम्वत् 2021–24, दादा की खातेदारी, जमाबन्दी सम्वत् 2025–28, पिता की खातेदारी, जमाबन्दी सम्वत् 2042–45, त्रुटिपूर्ण नाम में सेकाराम पुत्र बस्तीराम जाति घांची निवासी बेरा तकीया ग्राम बगडी नगर, तहसील सोजत, अंकित है, तथा वादी के आधार कार्ड संख्या 650098634582 पेश किया, सा0 मिसल है। उक्त आधार कार्ड, शपथ पत्र तथा मिलान खसरा पंजीबद्ध दस्तावेज तथा अन्य दस्तावेजात आदि में वास्तविक रूप से शेषाराम पुत्र बस्तीराम दर्ज है। वस्तुतः प्रस्तुत वाद में वर्णित तथ्यों एवं साक्ष्य सबूत के प्रस्तुत दस्तावेजात के परिप्रेक्ष्य में वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना तथा वादी का नाम गलत रूप से सेकाराम पुत्र बस्तीराम मानवीय/सदभाविक चूॅक/भूलवश अंकित कर दिया गया जबकि सेकाराम का वास्तविक रूप से नाम शेषाराम पुत्र बस्तीराम होना बखूबी साबित होने से उक्त विवादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर–1899 रकबा 0.6000 हैक्टर, खसरा नम्बर 1901 रकबा 1.6700 हैक्टर, खसरा नम्बर 1877 रकबा 0.6100 हैक्टर, खसरा नम्बर 1878 रकबा 0.3100 हैक्टर, खसरा नम्बर 1879 रकबा 0.7200 हैक्टर, खसरा नम्बर 1896 रकबा 0.1000 हैक्टर , खसरा नम्बर 1897 रकबा 0.200 हैक्टर , खसरा नं. 1898 रकबा 0.1600 हैक्टर, खसरा नम्बर 1894 रकबा 1.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 1895 रकबा 0.68 हैक्टर, खसरा नम्बर 1900 रकबा 1.77 हैक्टर, खसरा नम्बर 1902 रकबा 2.28 हैक्टर, कुल खसरा 11 कुल रकबा 10.11 हैक्टर के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में सेकाराम पुत्र बस्तीराम के स्थान पर शेषाराम पुत्र बस्तीराम दुरूस्त दर्ज किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता मय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम बगडी चक संख्या एक में वादी की खातेदारी सुदा कब्जा सुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर–1899 रकबा 0.6000 हैक्टर, खसरा नम्बर 1901 रकबा 1.6700 हैक्टर, खसरा नम्बर 1877 रकबा 0.6100 हैक्टर, खसरा नम्बर 1878 रकबा 0.3100 हैक्टर, खसरा नम्बर 1879 रकबा 0.7200 हैक्टर, खसरा नम्बर 1896 रकबा 0.1000 हैक्टर , खसरा नम्बर 1897 रकबा 0.200 हैक्टर , खसरा नं. 1898 रकबा 0.1600 हैक्टर, खसरा नम्बर 1894 रकबा 1.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 1895 रकबा 0.68 हैक्टर, खसरा नम्बर 1900 रकबा 1.77 हैक्टर, खसरा नम्बर 1902 रकबा 2.28 हैक्टर, कुल खसरा 11 कुल रकबा 10.11 हैक्टर किस्म चा.प्र., जा.अ.,बा.अ., बंजड, गै.मु.सेरीया, गै.मु.बेरा, गै.मु. सडा के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी के सदभाविक/मानवीय चूक/भूलवश गलत रूप से दर्ज नाम सेकाराम पुत्र बस्तीराम के स्थान पर शेषाराम पुत्र बस्तीराम, जाति घांची, सा0 देह खातेदार दुरूस्त दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद दुरूस्त रूप से किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 03.03.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

Scanned with CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

बइजलाश श्री दौलत राम चौधरी, आर.ए.एस.

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. शेषाराम पुत्र बस्तीराम, जाति घांची उम्र 52 वर्ष निवासी बेरा तकीया ग्राम बगडी नगर, तहसील सोजत, जिला पाली, (राजस्थान)।		1 सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत। 2 सोहनलाल पुत्र बस्तीराम 3 शिवलाल पुत्र बस्तीराम 4 भानाराम पुत्र बस्तीराम, जातिगण घांची, निवासीगण – बेरा तकीया, ग्राम बगडी नगर, तहसील सोजत, जिला पाली।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

राजस्व वाद संख्या :– 96/2019

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादी श्री धर्मीचंद देवासी तथा प्रतिवादी तहसीलदार, सोजत पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाता है कि सरहद मौजा ग्राम बगडी चक संख्या एक में वादी की खातेदारी सुदा कब्जा सुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर–1899 रकबा 0.6000 हैक्टर, खसरा नम्बर 1901 रकबा 1.6700 हैक्टर, खसरा नम्बर 1877 रकबा 0.6100 हैक्टर, खसरा नम्बर 1878 रकबा 0.3100 हैक्टर, खसरा नम्बर 1879 रकबा 0.7200 हैक्टर, खसरा नम्बर 1896 रकबा 0.1000 हैक्टर , खसरा नम्बर 1897 रकबा 0.200 हैक्टर , खसरा नं. 1898 रकबा 0.1600 हैक्टर, खसरा नम्बर 1894 रकबा 1.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 1895 रकबा 0.68 हैक्टर, खसरा नम्बर 1900 रकबा 1.77 हैक्टर, खसरा नम्बर 1902 रकबा 2.28 हैक्टर, कुल खसरा 11 कुल रकबा 10.11 हैक्टर किस्म चा.प्र., जा.अ.,बा.अ., बंजड, गै.मु.सेरीया, गै.मु.बेरा, गै.मु.सडा के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी के सदभाविक/मानवीय चूक/भूलवश गलत रूप से दर्ज नाम सेकाराम पुत्र बस्तीराम के स्थान पर शेषाराम पुत्र बस्तीराम, जाति घांची, सा0 देह खातेदार दुरूस्त दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सोजत को इस डिक्री पर्चा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 03.03.2021 को जारी की गई।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			
मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.

Scanned with CamScanner